

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 541]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2010—आश्विन 13, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-3-ए-24-2009-1-पांच (84).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल पर, उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा:—

सारणी

माल का नाम (1)	निर्बन्धन तथा शर्तें (2)
कोयला (कोल)	<ol style="list-style-type: none">जब कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय महान कोल लिमिटेड (हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरगवां, जिला-सिंगरौली द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उपक्रम की कंपनी) द्वारा उसकी नियंत्रक कंपनी हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरगवां, जिला-सिंगरौली को कैप्टिव उपभोग हेतु किया जाए.नियंत्रक कंपनी कोयले के क्रय पर आगत कर रिबेट का दावा नहीं करेगी या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-ए-3-24-2009-1-पांच, (84).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-24-2009-1-पांच, (84), दिनांक 5 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2010

F -No. 3-A-24-2009-1-5-(84).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies that no tax shall be levied on the goods specified in column (1) of the table below, subject to the restrictions and conditions specified in column (2) of the said table:—

TABLE

Name of goods (1)	Restrictions and conditions (2)
Coal	<ol style="list-style-type: none"> 1. When the goods specified in column (1) are sold by Mahan Coal Limited (a joint venture Company promoted by Hindalco Industries Limited, Bargawan, District Singrauli) to its holding company Hindalco Industries Limited, bargawan, District Singrauli for Captive consumption. 2. The holding company shall not claim or be allowed input tax rebate on the purchase of coal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.